तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.10.14	पत्रावली पेश। वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। वास्ते पालना तहसीलदार रा०मंडी को मय धारा प्रति निर्णय व डिक्री पत्र जारी रहेगा दि० 26.11.14 को पेश हो।	
26.11.14	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० हैं। वास्ते पालना पुनः पत्र जारी किया जाकर पत्रावली 19-12-14 को पेश हो।	
19.12.14	पत्रावली पेश। वकील पक्ष० उप० हैं वास्ते पालना रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव पत्रावली दि० 21-1-15 को पेश हो।	
21.1.15	पत्रावली पेश। वकील पक्ष० उप० हैं। तहसीलदार रा० मंडी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया। श्रा० का० हो। वास्ते बहस प्रस्ताव पत्रावली दि० 27.2.15 को पेश हो।	
27.2.15	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० हैं। विभाजन प्रस्ताव पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी। तहसीलदार रामगंज मंडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर प्रकरण अंतिम डिक्री किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील एवं तामील फैसला शुमार की जाकर प्रविष्ट रेकार्ड भण्डार हो।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंज मण्डी

ओमप्रकाश बनाम भाँगीलाल

नं. 75 सन 2008

किस्म मुकदमा 53-188 R.T.A

तारीख हुक्म	~~हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज~~ -: निर्णय :- दि. 18/7/14	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54-188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सोहनखेड़ा में ख० नं. १३६ (कबा २।।), १३८ (कबा ६।।)२, १४० (कबा १)२, १४१ (कबा १)१, १४२ (कबा १।।।)१, १४३ (कबा ३।।)४ १४४ (कबा ४।)३, १४५ (कबा ।।।)४, १४६ (कबा ।।)४ १४६ (कबा ।)२, ४४० (कबा १६।)१, ४४९ (कबा १३।)१ कुल किता १२ (कबा ५२।।।) स्थित है, जिसमें वादीगण का हि० 1/3, प्रति० 1 का हि० 1/3 एवं 1/3 हिस्सा प्रति० नं० 2 का है।	
	अन्य कथन कर वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि, उक्त आराजियात का खाता विभाजन किया जाकर वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रति० नं. 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रति० नं. 2 का 1/3 हिस्सा अलग दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जावे। बंटवारे अनुसार वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। तथा बाद विभाजन धारा 188 R.T.A का अनुतोष दिये जाने का भी निवेदन किया गया।	
	बाद वादीगण पेश होने पर प्रकरण दर्ज	

उप खण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

[P.T.O]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया! प्रति० नम्बर 1 व 2 की ओर से श्री S.R. अहीर विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश किया गया! प्रति० नम्बर 1 द्वारा वाद का जवाब तथा प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा जवाब मय काउंटर क्लेम पेश किया गया! वादीगण द्वारा काउंटर क्लेम का जवाब उल जवाब पेश किया।
	जवाब, जवाब मय काउंटर क्लेम तथा जवाब-उल-जवाब की प्रतियाँ संबंधित को दी जाकर शा० फा० किये!
	वादीगण के वादपत्र, वांछित अनुतोष, प्रतिवादी नम्बर 1 के जवाब, प्रति० नं० 2 के जवाब मय काउंटर क्लेम तथा वादीगण के जवाब-उल-जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये।
	तनकी नम्बर 1:- आया वादीगण वादपत्र की मद नं० 1 में अंकित भूमि का बंटवारा करवाकर 1/3 हिस्सा भूमि अपने खाते अलग से दर्ज करवाने के अधिकारी है!
	-जिम्मे वादीगण-
	तनकी नम्बर 2:- आया मृतक रामस्वरूप के हिस्से की भूमि प्रति० नम्बर-2 ही 35 वर्षों से काश्त करता आ रहा है? तथा वादग्रस्त भूमि का 35 वर्ष पूर्व विभाजन हो जाने के कारण दावा खारिज योग्य है!
	-जिम्मे प्रतिवादीगण-

उप खण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तनकी नम्बर 3:- अनुतोष	
	बाद कायमी तनकीयात पक्षकारान को अपने-अपने साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति-युक्त अवसर दिये गये। दौराने साक्ष्य पक्षकारान द्वारा अधोलिखित साक्ष्य प्रस्तुत की गई।	
	शपथपत्र शान्तिबाई, शपथपत्र रामधनी, शपथ पत्र महावीर प्रसाद, शपथपत्र सत्यनारायण, शपथपत्र ओम प्रकाश, नकल जमाबन्दी ग्राम सोहनखेड़ा सम्वत 2054-57 खाता नम्बर 2,	
	इसके अलावा प्रति० द्वारा शपथ-पत्र प्रतिवादी नम्बर 1 व 2, शपथपत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल	
	पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों का मुख्य परीक्षण करवाया गया।	
	बाद साक्ष्य पत्रावली वास्ते बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष नियत की गई। विद्वान अधिवक्तागण प्रकरण के सम्बन्ध में बहस प्रस्तुत नहीं करना चाहते! विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष का कथन है, कि प्रकरण का मेरिट के आधार पर निस्तारण कर दिया जावे।	
	प्रकरण के क्रम में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष, प्रस्तुत दस्तावेजात प्रति० के जवाब व काउंटर क्लेम आदि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया।	

उप खण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी (कोटा)

[क्रमशः...]

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म मे…

पत्रावली के आद्योपान्त गहन अवलोकन मनन आदि किया गया। प्रकरण का तनकी-वार विवेचन अधोलिखितानुसार है।

तनकी नम्बर 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श-1 के आधार पर यह प्रमाणित होता है, कि वादीगण वादग्रस्त आराजियात के अभिलिखित सह खातेदार है। वादीगण का उक्त प्रदर्श अनुसार वादग्रस्त भूमि में हि० 1/3 है। इसी प्रकार प्रति० नं. 1 व 2 का भी 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि का जोत विभाजन करवा कर अपना हिस्सा व खाता अलग से दर्ज करवाने के अधिकारी प्रकट होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति० पर था। प्रतिवादी नम्बर 2 या अन्य प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह तय किया जा-

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी (कोटा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सके, कि पूर्व मृतक रामस्वरूप के हिस्से की भूमि पर प्रति० नं० 2 विगत 35 वर्षों से काश्त कर रहा हो! या भूमि का 35 वर्ष पूर्व ही विधिवत् विभाजन हो चुका हो! प्रति० नम्बर 2 द्वारा अपने काउंटर क्लेम के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह तय किया जा सके कि उसे वादग्रस्त भूमि में पूर्व मृतक रामस्वरूप के हिस्से की भूमि पर कोई टाईटल प्राप्त हो पूर्व में भूमि रामस्वरूप के नाम बतौर हिस्सेदार दर्ज रही हो ऐसा भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है! प्रति० द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य पुनः विभाजन हो रहा हो। अतः साक्ष्याभाव में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी० तय की जाती है! तनकी नम्बर 3:- वादीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहखातेदार है प्रति० नम्बर 1 व 2 की हैसियत भी अभिलिखित सह-खातेदार की है सहखातेदारी की भूमि पर बिना विधिक विभाजन के सहखातेदारान के विरुद्ध धारा 188 का अनुतोष दिया जाना विधिसंगत नहीं है! अतः भूमि के विधिक विभाजन के उपरान्त ही यह अनुतोष दिया जा सकता है तनकी नम्बर 1 ता 3 के विवेचन	

उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

[क्रमशः...]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
	तथा विश्लेषण के आधार पर वाद- वादीगण अंशतः स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम सोहनखेड़ा ख०नं० १३७/२।।), १३८/६।।)२, १४०/१)२, १४१/१)१, १४२/१।।।)१, १४३/३।।)४, १४४/४।)३, १४५/।।।)४, १४६/।।)४, १४७/।)२, ४४०/१६।)१, ४४९/१३।)१ कुल किता १२ रकबा ५२।।।) का वादीगण हि० १/३ प्रति० नं० १ हिस्सा १/३ व प्रति० नं० २ हिस्सा १/३ के अनुसार विभाजन किया जाता है। प्रति०नं० 3 को निर्देश जारी किये जाते है, कि वे राजस्थान काश्तकारी मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से २१ के प्रावधानों के अनु- सार पक्षकारान के मध्य उक्त भूमि के विभाजन प्रस्ताव पेश करें। तदनुसार प्रायमरी डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 18/7/2014 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया S.D. MEENA उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी (कोटा)

डिकरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंज मण्डी

ब इजलास— एस० डी० मीणा [R.A.S.]

ओमप्रकाश —बनाम— मांगीलाल

दावा बाबत— 53-188

मुकद्दमा नं.— 75/2014 —सन्—

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— S.D. मीणा (R.A.S.)

बहाजरी— श्री रामगोपाल कुल्मी एड. —मिनजानिब मुद्दई व— श्री शोभाराम अहीर एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादग्रस्त भूमि ग्राम सोहनखेड़ा ख०नं० १३६/२।।), १३८/६।।)₂, १४०/१।२, १४१/३।६, १४२/१।।।)₂, १४३/३।)४, १४४/४।)₃, १४५/।।)४, १४६/।।)४, १४७/।)₂, ४४०/१६।)₂, ४४८/१३।)₂ कुल किता १२ रकबा ५२।।।) का वादीगण हिस्सा १/३, प्रति० नं०१ हिस्सा १/३, व प्रति० नं० २ हिस्सा १/३ के अनुसार विभाजन किया जावे तथा प्रति० नं० ३ को निर्देश जारी किये जाते हैं कि वे R.T. Act राज० मण्डल नियम 1955 के नियम 18 व 21 के प्रावधानों के अनुसार पसकायत के सम्बन्ध विभाजन प्रस्ताव पेश करें।

चीज— —मुबलिग— — —बाबत— —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— — —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— —को अदा करें।

बतस्दीक मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 18 —माह— 07 —2014

को जारी की गई।

दस्तखत— [signature]

ओहदा— उप खण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

मुहर (कोटा)

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	..			स्टाम्प वकालतनामा	..		
स्टाम्प वकालतनामा	..			स्टाम्प अर्जी	..		
स्टाम्प वजह सबूत	..			महनताना वकील पर	..		
महनताना वकील	..			खर्चा गवाहान	..		
खर्चा गवाहान	..			फीस कमिश्नर	..		
फीस कमिश्नर	.			बाबत इजराय हुक्मनामा	..		
बाबत इजराय हुक्मनामा	..			मुतफर्रिक	..		
मुतफर्रिक	..						
मीजान..		—	—	मीजान..		—	—

नोट—इस जदूल के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

[signature] उप खण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

(13)

Judl/Civil
Part IV-10

डिकरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगँज मण्डी

इजलास एस० डी० मीणा [आर० ए० एस०]

ओमप्रकाश बनाम माँ

दावा बाबत 53-188 R.T.A.

मुकद्दमा नं. 75 सन् 2008

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई हुजूर S.D. मीणा [R.A.S.]

हाजरी श्री R.K. कुल्मी एडवो० मिनजानिब मुद्दई व श्री S.R. अहीर एड०

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि तहसीलदार रामगँज मण्डी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर ग्राम खोहमखेड़ा की भूमि का पक्षकारान के मध्य पृष्ठ पर अँकित अनुसार खाता विभाजन किया जाता है।

ज मुबलिग बाबत

ी इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख

तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 02 2015

जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी रामगँजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
। वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
ताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
कमिश्नर .			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
र्रिक ..					
मीजान..	—	—	मीजान..	—	—

—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

[.जो.–40–2004–1,00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी
रामगँजमण्डी

क्र.सं.	नाम पसन्दकर्ता मय विवरण	ख. नं.	रकबा
1	ओमप्रकाश, सत्यनारायण, महावीर-प्रसाद पुत्रान शान्तिबाई, शान्ति पुत्रियां रामधनी प० किशनगोपाल जाति ब्राह्मण	172	0.46
		171	0.04
		166	1.07
		510	1.24
		किता 4	2.81 है.
(2)	मोहनलाल S/o चतुर्भुज जाति ब्राह्मण	169	0.17
		168	0.18
		170	0.29
		175	0.06
		173	0.15
		496	1.40
		171/1	0.56
		किता 7	2.81 है
(3)	मांगीलाल S/o चतुर्भुज जाति ब्राह्मण सा० सोहनखेड़ा	165	0.41
		495	1.24
		172/1	0.25
		509	0.91
		किता 4	2.81 है.

बकाया ख० नं० 174 रकबा 0.11 है० पूर्वानुसार यथावत रहेगा। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। नक्शे में तरमीम आवश्यकरूप से की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी